



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122023-250738
CG-DL-E-18122023-250738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 2023/अग्रहायण 27, 1945

No. 714]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 18, 2023/AGRAHAYANA 27, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 898(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 के नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (अठाइसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग में, खंड (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(x) पावरग्रिड अवसंरचना निवेश न्यास की अर्जन इकाईयों के रूप में निवेश।”।

[अधिसूचना सं. 103/2023/फा. सं. 370142/44/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या का.आ. 813(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।